प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक **04** अगस्त **2022**

देश भर में खाद्य तेलों)Edible Oils) में मिलावट रोकने और खाद्य तेलों की शुद्धता जांचने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)FSSAI) ने देशव्यापी अभियान की शुरूआत की है। 1 अगस्त से 14 अगस्त 2022 तक चलने वाले इस अभियान के तहत खाद्य तेलों में मिलावट की जांच, हाइड्रोजनीकृत तेलों में ट्रांस फैटी एसिड की मौजूदगी एवं खुले खाद्य तेल की बिक्री पर नकेल कसने की तैयारी है। वहीं बिना उचित लेबल के खाद्य तेलों की बिक्री पर भी रोक लगाई जा रही है।

एफएसएसएआई के इस अभियान के तहत देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 4 अगस्त तक खाद्य तेल, वनस्पति एवं बहु स्रोत खाद्य तेलों के 1195 नमूने निरीक्षण के लिए एकत्रित किए गए । वहीं करीब 2662 लीटर खुले खाद्य तेलों को विभिन्न जगहों से जब्त किया गया।

विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए राज्य में इस अभियान के बारे में लोगों को जागरुक किया गया है ताकि आम लोग मिलावटी खाद्य तेलों को लेकर जागरुक हो सके एवं मिलावटी तेल बिक्री से जुड़ें लोगों तक कड़ा संदेश पहुंचे।

इस अभियान की निगरानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के स्तर से रोजाना की जा रही है। राज्य एफडीए के द्वारा एकत्र किए गए नमूनों को अधिसूचित प्रयोगशाला को भेजना सुनिश्चित किया गया है। ताकि इन नमूनों का जांच रिपोर्ट ससमय प्राप्त कर निरीक्षण किए गए नमूनों के आधार पर फूड बिजनस ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

मीडिया के प्रश्नों के लिए संपर्क करें:

रुचिका शर्मा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

ई: sharmaruchika.21@gmail.com